



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक-1531 / 1 सी0 (वन)

दिनांक 11/10/2017

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय- प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2016 गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 9.10.2017, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र दिनांक 06.10.2017 एवं इस कार्यालय के 194/1सी0 वन दिनांक 23.2.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग से सम्बन्धित वर्तमान में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक सं0 194/1सी0 वन दिनांक 23.2.2017 द्वारा पूर्व में जॉचोपरान्त प्रेषित किया गया था, जिसको पुनः जाँच कर तीन-तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Short narrative of the proposal is not satisfactory in online Part I	Short narrative संशोधित कर पार्ट-I में ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	Total period for which the proposed area to be diverted is not provided in online Part I.	Total period for which the proposed area to be diverted में 99 वर्ष भर कर ऑनलाइन Part I में अपलोड कर दिया गया है।
3	The component wise break up is not complete as the areas for muck disposal is not mentioned in the break up in Part I.	इस बिन्दु के अनुसार Component wise break up मक डिस्पोजल के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।
4	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinates are shown in google map which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of clear GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	बिन्दु सं0 4 के अनुसार GIS software generated geo referenced digital map संशोधित कर प्रत्येक 200 से 300 मी0 पर coordinates दर्शा कर निर्धारित कॉलम में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 1:- डिजिटल मैप (पेज 1) टोपोशीट मैप (पेज 2)
5	The digital map of area proposed for CA is provided in google map, which does not serve the purpose. The State Govt may provide/upload GIS software generated revised map showing ge coordinates for all corner points in polygon (.shp) closed file.	बिन्दु सं0 5 के अनुसार GIS software generated CA google map संशोधित कर निर्धारित स्थल पर coordinates दर्शा कर polygon के रूप में निर्धारित कॉलम में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 2:- सी0ए0 गुगल मैप, सी0ए0 टोपोशीट मैप (3,4)
6	The State Govt may review the employment generation detail given in Part I appears to be incorrect. The correct information may fill.	Employment generation detail given in Part I में संशोधित कर ऑनलाइन अंकित कर दिया गया है।
7	The village level committee (VLC) proceeding provided for only 1 village while as per village wise break up the proposed alignment passing through the boundary of 3 villages. The VLC for other two villages may upload along the FRA certificate in designated place in Part I.	ग्राम स्तरीय समिति में ग्राम ओब्यागवाड, चखिल ग्वाड (ग्राम पंचायत सुनाक) एवं धनपुर के पत्र एफ0आर0ए0 में Part I के बिन्दु K में अपलोड कर दिये गये है। संलग्न-3:- F.R.A का प्रमाण पत्र। पेज 2 (5 से 13)

8	It is mentioned in the online Part II that the area is prone to erosion therefore the State Govt may explain the protective measures to be taken during the proposed construction.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
9	The data furnished in the district profile is appears to be incorrect as the total diverted land does not tally with the CA stipulation. The State Govt may review the information furnished and if required may clarify the differences.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
10	The density appears to be incorrect in online Part II and the NPV calculation is also not correct. The State Govt may review the same and provide correct density and NPV calculation in view of the tree felling involved.	NPV calculation आपके माध्यम से संशोधित कर निर्धारित कॉलम में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न-4:- NPV Calculation का प्रमाण पत्र।
11	Details of wildlife in online Part II are not provided.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
12	As per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees 734 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 233 trees are made in online Part II, which may be corrected accordingly.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
13	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 4.46 ha proposed for CA, 2 ha is moderately dense forest. State Govt may replace this 2 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, Sol topohseet map and KML file of the complete 4.46 ha CA area again after making the above change.	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 4.46 ha proposed for CA, 2 ha is moderately dense forest होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 2.00 हे. अतिरिक्त भूमि ग्राम बाँला सेरा में दिया गया है। जिसका उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। संलग्न 5:- सी0ए0 गुगल मैप ,सी0ए0 टोपोशीट मैप क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ स्थल उपर्युक्तता का प्रमाण पत्र (पृष्ठ 20 15 & 14)
14	The area 0.130 ha is marked for muck dumping in the civil land which is not clear that is it included in the area proposed for diversion. If the area marked for muck dumping attracts FCA, 1980 it should be a part of area proposed for diversion. The State Govt may revise the proposal accordingly and all necessary documents may be corrected accordingly in online Part I and II. The State Govt may propose the muck dumping in private land with provided NOCs of land owners to this office	मोटर मार्ग पूर्णता वन क्षेत्र में है जिन कारणों से मक डिस्पोजल वन पंचायत क्षेत्र में लिया गया है। मक डिस्पोजल हेतु निजी भूमि उपलब्ध नहीं है। संलग्न 6- मक डिस्पोजल स्कीम। पृष्ठ 20 18 से 23

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित प्रपत्रों को संलग्न कर, तीन-तीन प्रतियों में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार तीन-तीन प्रतियों में।

भवदीय
अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
11/10/17

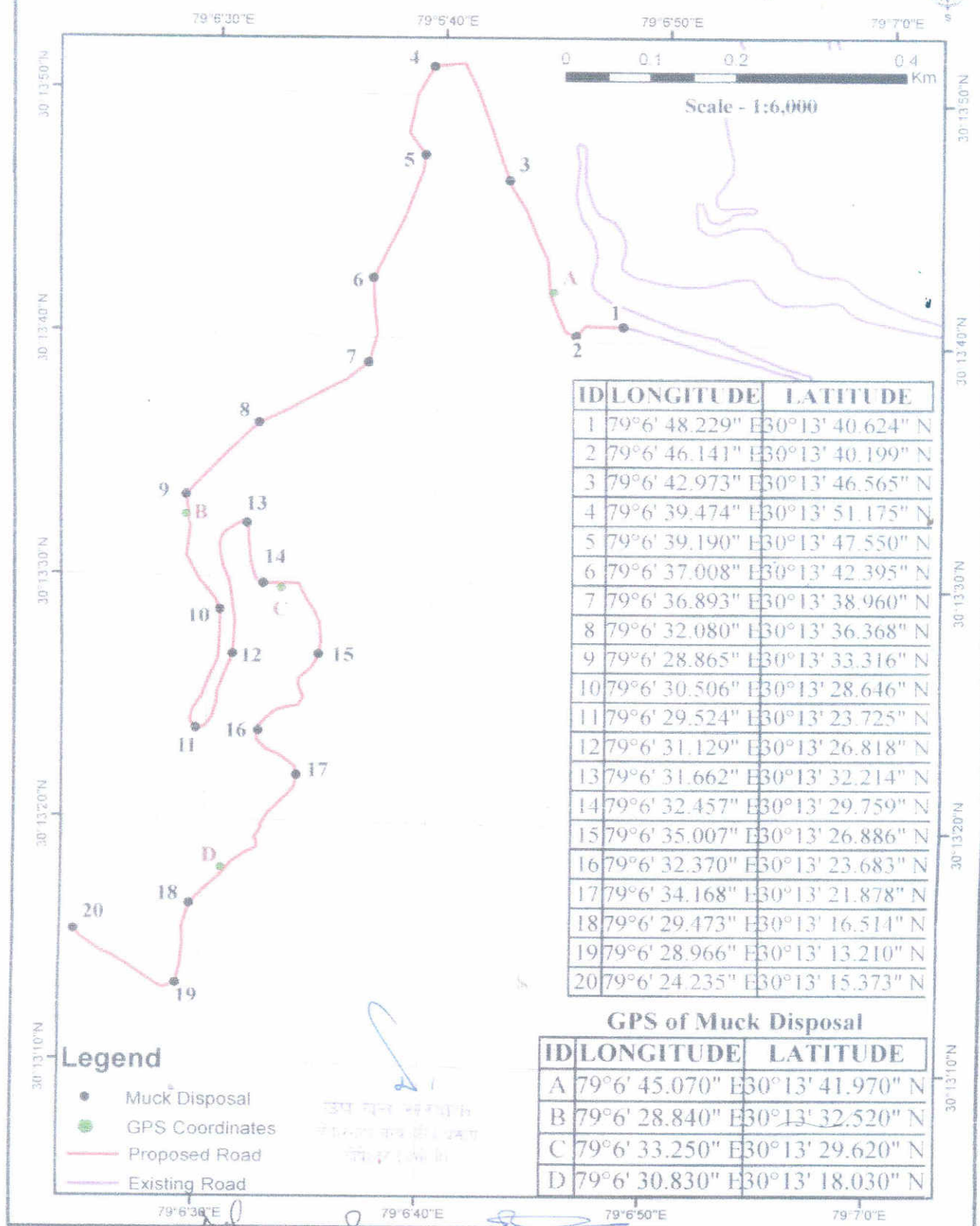
पत्रांक- /1सी0 वन

तददिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

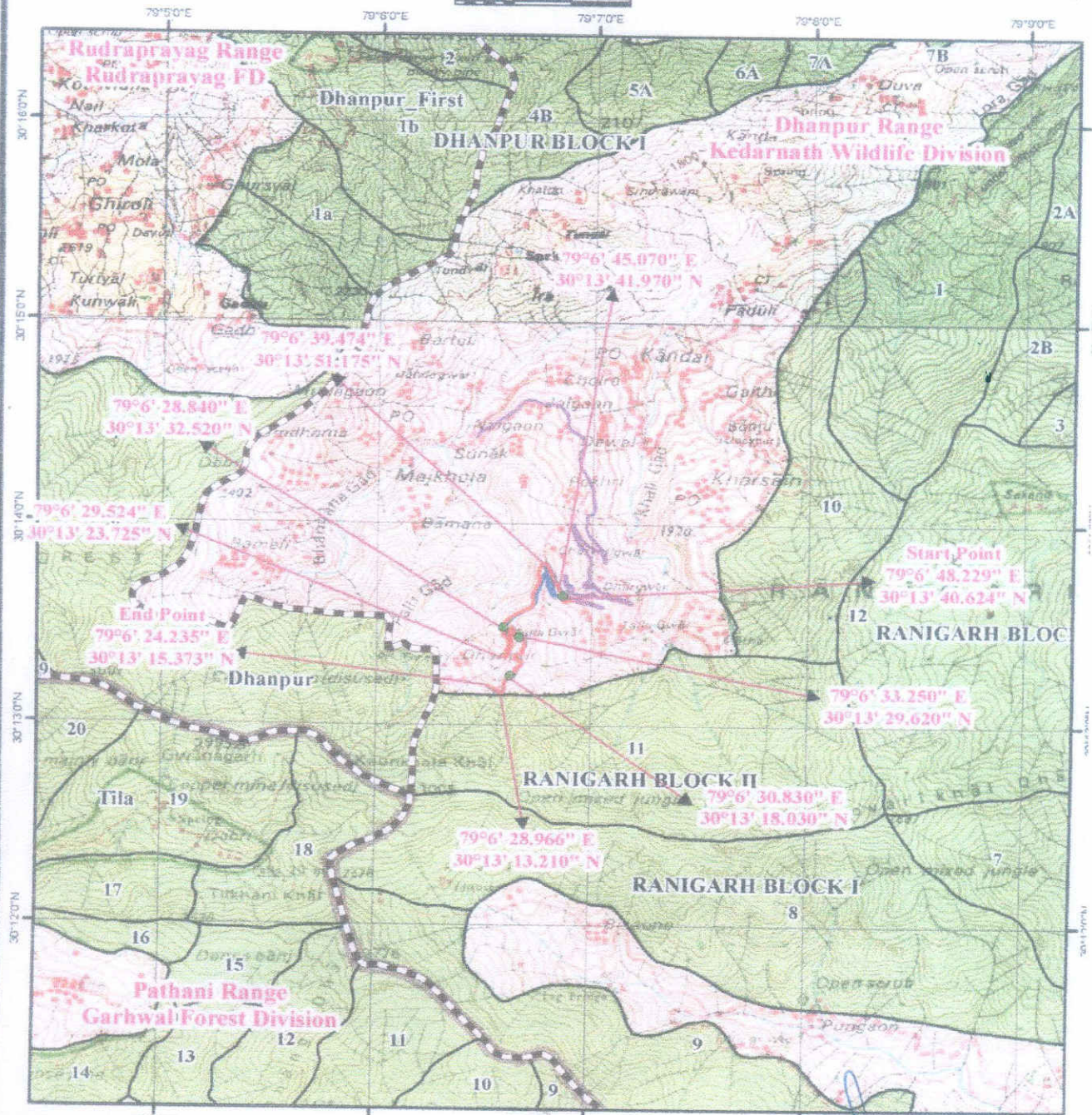
अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

जियो रेफरेंस मैप - राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद चमोली के ब्लॉक कर्णप्रयाग में गौचर से सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु किमी 0 24.5 से 27.5 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु



डिजिटल मैप - राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद चमोली के ब्लॉक कर्णप्रयाग-में गौचर से सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु किमी 0 24.5 से 27.5 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु

0 0.5 1 1.5 Km

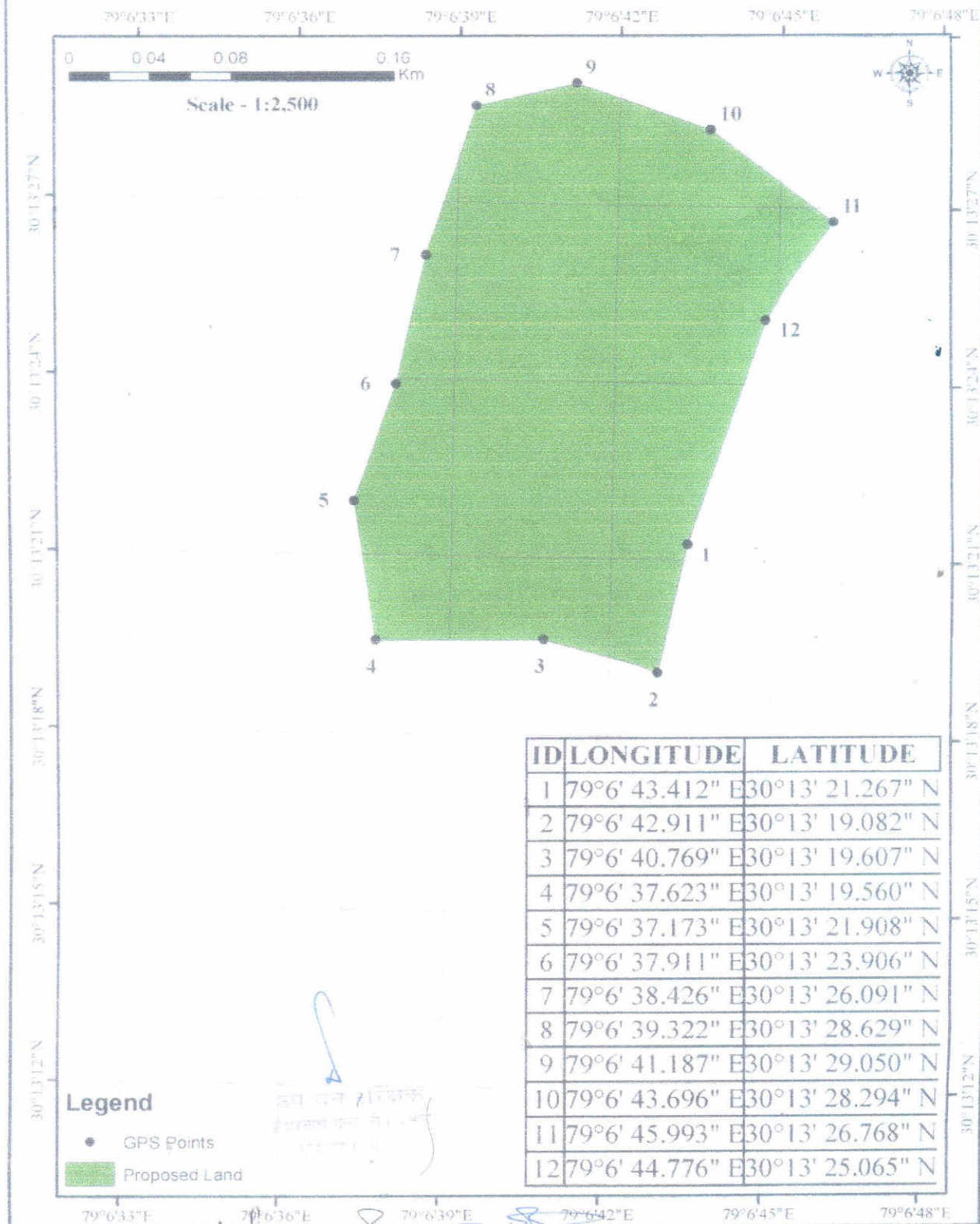


Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

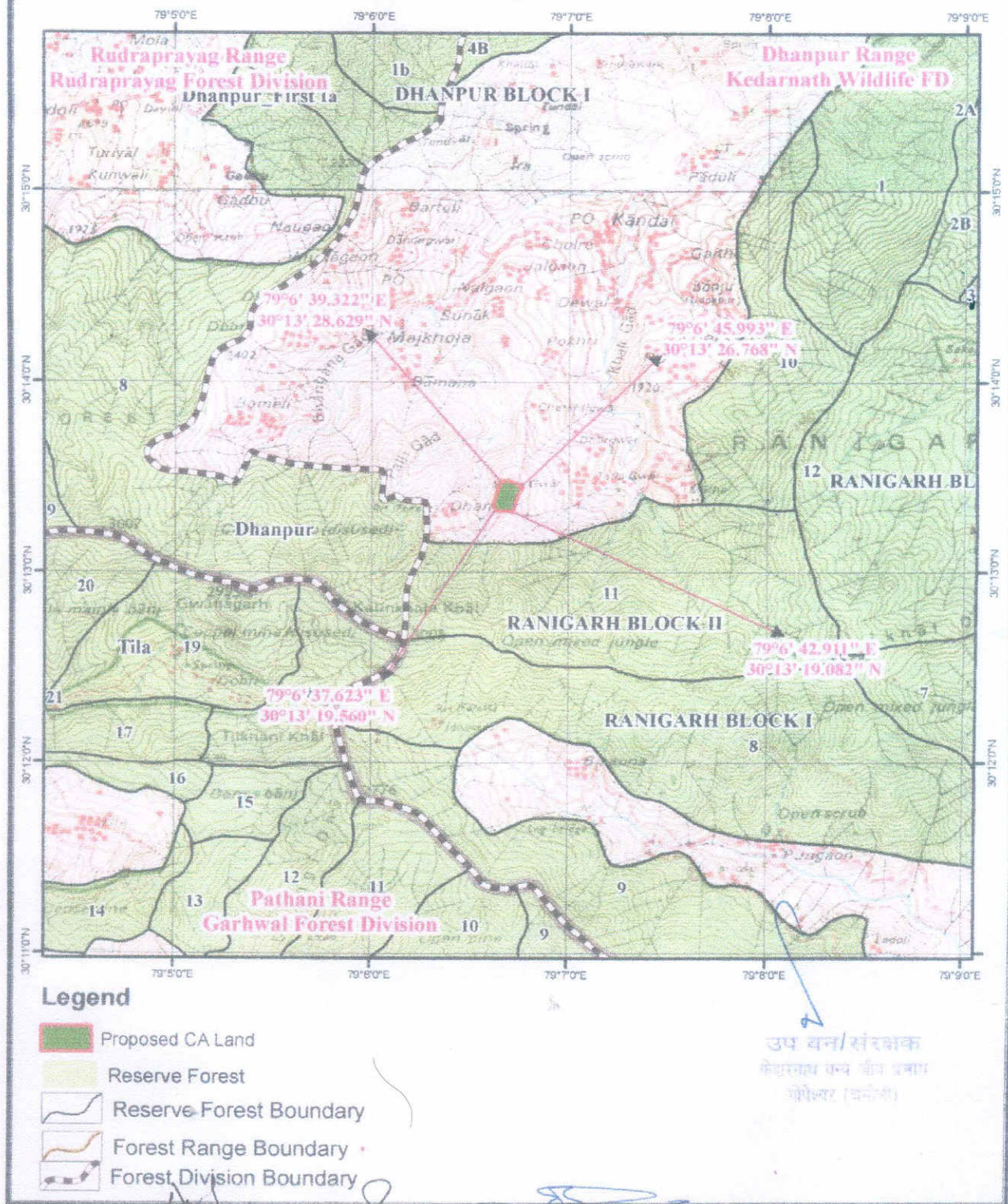
उप वन संरक्षक
नैदरनाथ वन जीव प्रभु
गोपेन्ध (चमोली)

जियो रेफेरेंस मैप –राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद चमोली के ब्लॉक कर्णप्रयाग में गौचर से सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु किमी 0 24.5 से 27.5 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल झिरकोटी लग्गा सिन्दरवानी सिविल सोयम क्षेत्रफल 4.60 है०



डिजिटल मैप - राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद चमोली के ब्लॉक कर्णप्रयाग में गौचर से सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु किमी 0 24.5 से 27.5 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल झिरकोटी लगा सिन्दरवानी सिविल सोयम क्षेत्रफल 4.60 है०

0 0.5 1 1.5 Km



FORM-1**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli**

No---

Dated-26/05/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.230 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Extension of Gauchar-Sidoli-Dhanpur motor road" in Chamoli district falls within jurisdiction, Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur village (s) in Karanprayag tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.230 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 26.5.2015 at time 11.00 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.230 hect for the construction of "Extension of Gauchar-sidoli-Dhanpur motor road" and forest land 2.230 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 26/5/2015

**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार के निर्माण हेतु 2.100 हे० वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल 2.230 हे० भूमि का लो0नि0 को हस्तान्तरण।

(2)

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति.....

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (आरक्षित वन भूमिX..... हे०, वन पंचायत भूमि 2.100 हे०, मक डिस्पोजल हे० 0.130 हे० अर्थात् कुल 2.230 हे० वन भूमि) का अस्थाई खण्ड, लो0नि0 वि० गौचर के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 25/3/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री उप जिलाधिकारी, पौखरी अध्यक्ष।
- 2- श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर सदस्य।
- 3- श्री समाज कल्याण अधिकारी गोपेश्वर सदस्य/सचिव।
- 4- श्री वनोडी0सी0 क्षेत्र सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार निर्माण हेतु 2.230 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वन दावेदार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/अवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार निर्माण हेतु 2.230 हे० वन भूमि को जनहित में वन्य जीव प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पौखरी
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पौखरी
जनपद-चमोली

नाथपाल हिंदूजी, सहाय क्षेत्र पंचायत चमोली
मालवत पुरोहित, सहाय क्षेत्र पंचायत चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार के निर्माण हेतु 2.100 हे० वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

8

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-ओव्या ग्वाड़

तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि.....X. हे० सिविल सोयम भूमि.....X. हे० वन पंचायत भूमि 2.100 हे०) एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे०, अर्थात् कुल 2.230 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

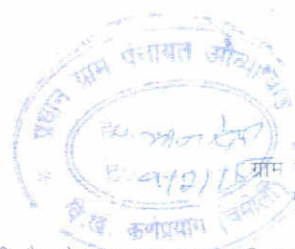
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओव्या ग्वाड़, द्वारा दिनांक 07/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ओव्या ग्वाड़, चरखिल ग्वाड़ एवं धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.230 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० /
ग्राम पंचायत ओव्या ग्वाड़
मुखर सहित

जिला-चमोली



ह० /-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुखर सहित

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत झोखावा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेंद्र सिंह चौधरी	Sun
2	सुरेश सिंह चौधरी	Sun
3	देवेन्द्र सिंह चौधरी	Sun
4	शुनीता चौधरी	Sun
5	मनशिव प्रसाद चौधरी	Sun
6	गोविन्द सिंह चौधरी	Sun
7	जगदीश सिंह चौधरी	Sun
8	दीनदयाल सिंह	Sun
9	भगत सिंह	Sun
10	गोदाधर सिंह	Sun
11	सुनील सिंह	Sun
12	विनोद सिंह	Sun
13	मनदीप सिंह	Sun
14	लखनपाल सिंह	Sun
15	शान्तिदेवी	Sun
16	भगत सिंह	Sun
17	भोगा देवी	Sun
18	हरिन्दर सिंह	Sun
19	ज्योति सिंह	Sun
20	सुरेश चौधरी	Sun

21 - सुखवीर सिंह

22 - सराफ सिंह

23 - जशपाल

24 - राजपाल

25 - मंजय सिंह

26 - लक्ष्मण सिंह

28 - गोविन्द सिंह

29 - यशोदेवी

30 - लक्ष्मी देवी

31 - किशना देवी

32 - सुखदेव सिंह

33 - मंजय सिंह

34 - हरेश चौधरी

35 - कर्मा देवी

36 - लक्ष्मण सिंह

37 - जगदीश सिंह

38 - सुभन सिंह

39 - जयेश सिंह

40 - विरन्दा सिंह

सुखवीर सिंह

साराफ सिंह

जशपाल

राजपाल

ह0/-

ग्राम प्रधान



21 - सुखवीर सिंह
 22 - सराफ सिंह
 23 - जशपाल
 24 - राजपाल
 25 - मंजय सिंह
 26 - लक्ष्मण सिंह
 28 - गोविन्द सिंह
 29 - यशोदेवी
 30 - लक्ष्मी देवी
 31 - किशना देवी
 32 - सुखदेव सिंह
 33 - मंजय सिंह
 34 - हरेश चौधरी
 35 - कर्मा देवी
 36 - लक्ष्मण सिंह
 37 - जगदीश सिंह
 38 - सुभन सिंह
 39 - जयेश सिंह
 40 - विरन्दा सिंह

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - चर्खिल ग्वाड़
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

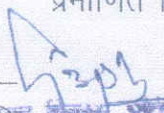
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे० एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल) अर्थात् कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चर्खिल ग्वाड़ द्वारा दिनांक 21.6.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चर्खिल ग्वाड़ के ग्रामवासियों को 2.230 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- 
ग्राम सचिव 
ग्राम पंचायत 
जिला-चमोली



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - ओब्यागवाड/धनपुर
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (वन पंचायत भूमि 2.100 हे० एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल) अर्थात् कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओब्यागवाड/धनपुर द्वारा दिनांक 21.6.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ओब्यागवाड/धनपुर के ग्रामवासियों को 2.230 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
चमोली जिला

ह०/-
ग्राम प्रधान
ओब्यागवाड/धनपुर
चमोली जिला

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक २१.०६.२०१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - ओल्यागवाड / धनपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	वल्लभ लाल	वल्लभ लाल
2	रमेश चंद्र	रमेश चंद्र
3	मुकुंद चंद्र	मुकुंद चंद्र
4	लक्ष्मण लाल	लक्ष्मण लाल
5	जोत्पल लाल	जोत्पल लाल
6	राम लाल	राम लाल
7	बिलोका चंद्र	बिलोका चंद्र
8	गोदावरी देवी	गोदावरी देवी
9	श्री क. देवी	श्री क. देवी
10	शुश्री लाल देवी	शुश्री लाल देवी
11	सत्यावादी देवी	सत्यावादी देवी
12	शुश्री लाल देवी	शुश्री लाल देवी

₹0/-

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:—राज्य योजना के अन्तर्गत गौचरा सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.23 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।

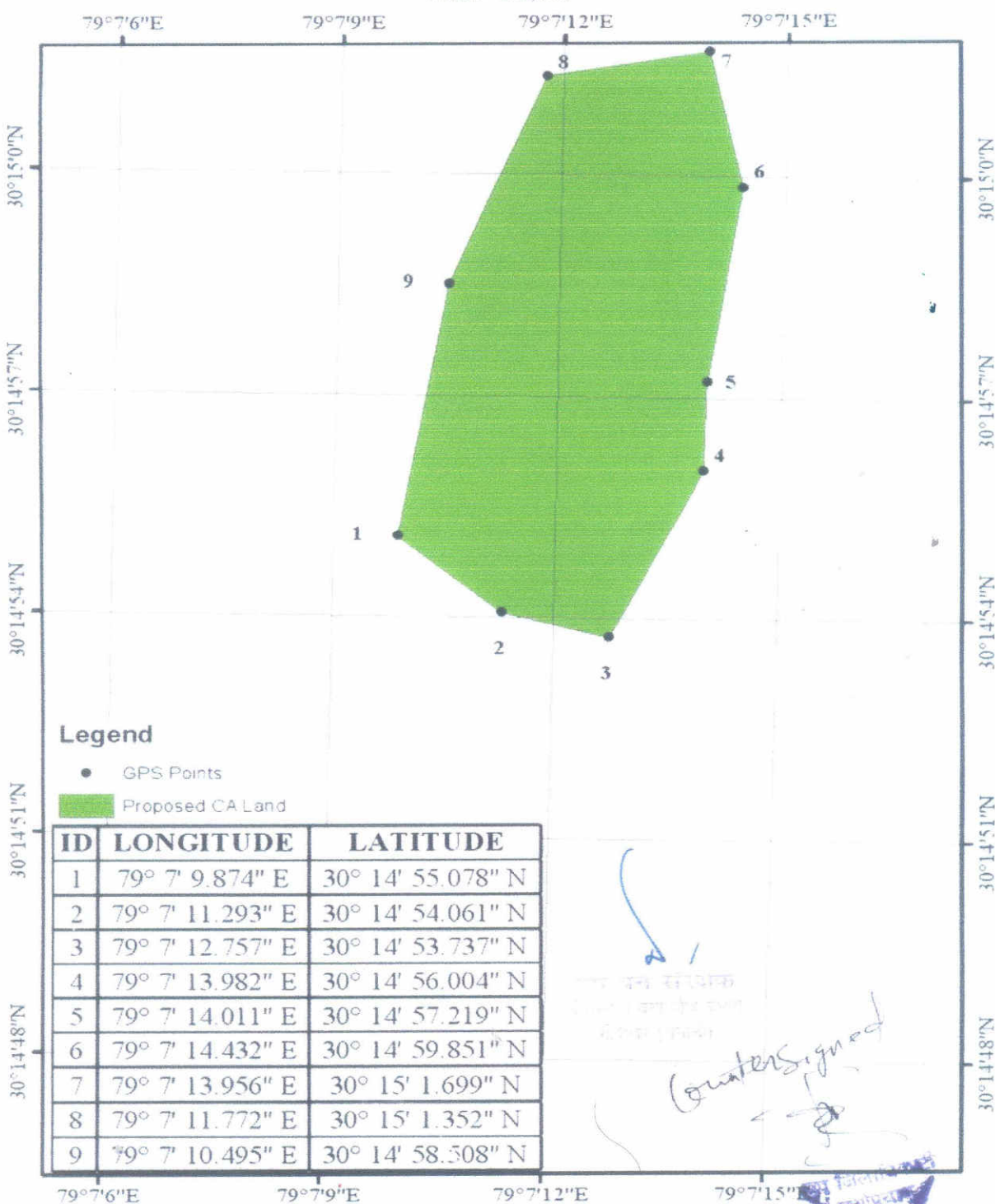
प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 -एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का धनत्व..... 0.2
- 3-एन०पी०वी० की दर6,57,000.00
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.23
- 5-कुल देय एन०पी०वी०.....रु० 14,65,110.00

(नीतु लक्ष्मी एम०)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

जीयोरेफ़ेरेन्स मैप – जनपद चमोली में गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग
के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल ग्राम- बौलासेरा, सिविल
भूमि क्षेत्र 2.00 है०

0 0.025 0.05 0.1
Scale - 1:2,000
KM

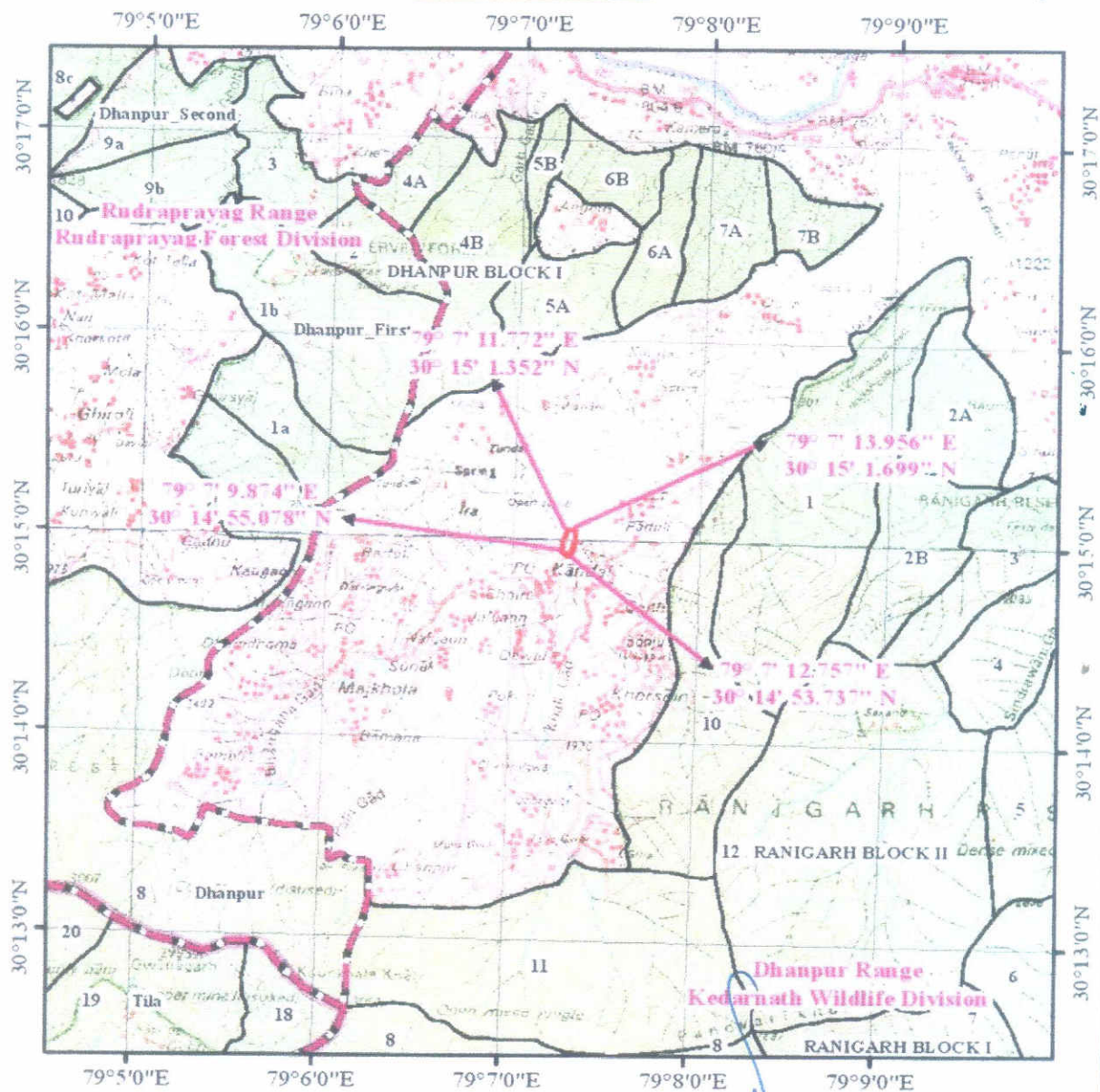


यह क्षेत्र संरक्षित
क्षेत्र है और इसमें
कोई भी कार्य नहीं
करा जा सकता

(Counter Signed)

डिजिटल मैप - जनपद चमोली में गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग
के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल ग्राम- बौलासेरा, सिविल
भूमि क्षेत्र 2.00 है०

0 0.5 1 1.5 2 km



Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

वन संचालक
धनपुर व. न. गौचर

उप जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि . एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे० कुल भूमि 2.230 हे० भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम बाँला सेरा के खसरा खाता खतोनी सं० 01 के खसरा नं० 296 रकबा 5.015 हे० मध्ये 2.00 हे० अतिरिक्त भूमि उपयुक्त पाई गई है।


 प्रेम प्रकाश पुरोहित
 वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी
 श्रीकोट अनुभाग
 धनपुर रेंज


 वन क्षेत्राधिकारी
 धनपुर वन क्षेत्र (गौचर)
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
 गोपेश्वर


 उपवन संरक्षक
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
 गोपेश्वर

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में गौचर - सिदोली मोटर मार्ग नव
निर्माण का संरेखण प्रस्ताव (0.00 - 3.00)।

Details of Muck Disposal Yard with Land Owner Annexure II.


J.E.


A.E.


अस्था E.E. वि०वि०

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर
मार्ग नव निर्माण का संरेखण प्रस्ताव (0.00-3.00)।

S.No.	Chainage	Name of Land Owner & village	Land in Hec.	Land in Sq.m.	Land area	Longitude	Latitude
1	0/5 to 0/8	Van Panchayat Obyagwar	0.030	300.00	300.00	30°13'43.9"	79°06'43.5"
2	0/34 to 0/37	Van Panchayat Charkhilgwar	0.030	300.00	300.00	30°13'43.9"	79°06'43.5"
3	1/5 to 1/9	Van Panchayat Dhanpur	0.040	400.00	400.00	30°13'43.9"	79°06'43.5"
4	2/6 to 2/9	Van Panchayat Dhanpur	0.030	300.00	300.00	30°13'43.9"	79°06'43.5"
		Total	0.130	1300.00	1300.00		

A.E.
J.E.

A.E.
A.E.

मुख्य अभियंता
ग्रामीण एवं लोक निर्माण विभाग
नाम (A.E.)

E.E.
E.E.

अभिजात अथवा नाभिजात

S.No

1

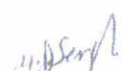
अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिंदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु कि०मी० 24.500 से 27.500 तक ग्राम ओब्यागवाड़ में वन पचायत भूमि भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रभावित की गई है।

क्रास सेक्शन 0/5 से 0/8 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ।

ग्राम-ओब्यागवाड़, पटवारी वृत्त-श्रीकोट, तहसील-कर्णप्रयाग, जिला- चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार हैं।

क्र०स०	खाता खतौनी नं०	खसरा नम्बर	लिया गया रकबा	भूमि
1	2	3	4	5
1	7	632 ग०	0.030	झाड़ी


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


पटवारी क्षेत्र
श्रीकोट


तहसीलदार
कर्णप्रयाग
कर्णप्रयाग(चमोली)


उपजिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु कि०मी० 24.500 से 27.500 तक ग्राम धनपुर में वन पंचायत भूमि भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रभावित की गई है।

क्रास सेक्शन 1/5 से 1/9 एवं 2/6 से 2/9 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु।

ग्राम- धनपुर, पटवारी वृत्त-श्रीकोट, तहसील-कर्णप्रयाग, जिला- चमोली के नाम भूमि पिवरण निम्न प्रकार हैं।

क्र०स०	खाता खतौनी न०	खसरा नम्बर	लिया गया रकबा	भूमि
1	2	3	4	5
1	7	554 म०	0.030	गौचर
2	7	554 म०	0.040	गौचर

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

पटवारी क्षेत्र
श्रीकोट

तहसीलदार

कर्णप्रयाग

उपजिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिंदोली-धनपुर ग्राटर मार्ग के विस्तार हेतु कि०मी० 24.500 से 27.500 तक ग्राम चखिलगवाड में वन पंचायत भूमि भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रभावित की गई है।

क्रास सेक्शन 0/34 से 0/37 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु।

ग्राम- चखिलगवाड, पटवारी वृत्त-श्रीकोट, तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली के नाम भूमे विवरण निम्न प्रकार हैं।

क०स०	खाता खतौनी न०	खसरा नम्बर	लिया गया रकबा	भूमि
1	2	3	4	5
1	4	632 म०	0.030	जलमग्न


अमीन

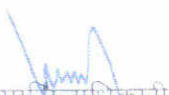

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


पटवारी क्षेत्र
श्रीकोट


तहसीलदार
कर्णप्रयाग
कर्णप्रयाग(चमोली)


उपजिलाधिकारी
कर्णप्रयाग
कर्णप्रयाग

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग नव निर्माण का संरेखण प्रस्ताव (0.00-3.00)।

S.No.	Material Received from hill side cutting	13500.00	Cum
	¾(3000x3x3)		
	40% for swell factor	5400.00	Cum
	Total	18900.00	Cum

Disposal and use of material

1	R.R. stone masonry laid in 1:5	1990.00	Cum
2	R.R. stone masonry laid in dry	4200.00	Cum
3	H.P. Stone filling	2150.00	Cum
4	Construction of wire crate	550.00	Cum
5	Construction of Parapet	100.00	Cum
6	R.C.C.	105.00	Cum
7	Ganular sub base/base/surface	3300.00	Cum
8	Total used	12395.00	Cum
9	Material disposal by cartage in dumping yard	6505.00	Cum

Location and Quantity of Dabries disposal

S. No.	Location of dumping yard	Size of dumping yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (cum)
1	0/5 to 0/8	75*4*5 = 1500.00	Van Panchayat Obyagwar	1500.00
2	0/34 to 0/37	75*4*5.50=1650.00	Van Panchayat Charkhilgwar	1650.00
3	1/5 to 1/9	100*4*5 =2000.00	Van Panchayat Dhanpur	2000.00
4	2/6 to 2/9	75*4*4.70=1410.00	Van Panchayat Dhanpur	1410.00
			Total	6560.00

Summary of debris disposal

S.No.	Total Debris	Material disposal by	reused material for road construction	Total disposal in dumping zone	Balance debris
1	18900.00	6505.00	12395.00	6505.00	Nil

A. E.
J.E.

A. E.
A.E.
समस्त जिलाधिकारी
असम, जम्मू और कश्मीर विभाग
गौचर, धनपुर

P. M.
अधीन E.E. अभियंता
अस्वाइ खण्ड ला 0/नि 0/वि 0
गौचर